वन विभाग, हरियाणा सरकार, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी—18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

कुमांकः प्रशा-डी-तीन-9020 / 431

दिनांकः 18/05/2013

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन तथा वन्य प्राणी विभाग, चण्डीगढ।

विषय : Diversion of 3.5 ha. of forest land for Laying of Sewerge Pipeline along Agra Canal from Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and District Faridabad, Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Ohers/41984/2019

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम द्वारा executive engineer municipal corporation FARIDABAD HARYANA. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 3.5 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें जिसमें 489 वृक्ष (वाल्युम 75.67 m³) बाधक है जो कटवाए जाएगे व इसके अतिरिक्त 330 पौधें भी नष्ट होगें। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजैन्सी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई

	A	राशि
कं0सं0	विवरण	7,000,40,00
	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	5022640.00
1.	प्रारापूरा पावररम्य नाम्य	473563.20
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	5000000.00
3.	Barbed Wire Fencing Charge	1049620.32
4.	Supervisory Charge(A+B)	
	नैट प्रेजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	4300065.00
5.		90804.00
6.	फैलिंग चार्जिज	346374.70
7.	अतिरिक्त चार्जिज	16283067.22
	कुल	10203007.22

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Chainsa distributary RD 15-40 L&R side पर 7660 पौधें लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपको ऑनलाईन पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),

दिनांकः 18/05/2023 कमांकः प्रशा-डी-तीन-9020 / ५३३

एक प्रति उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बन बल प्रमुख), हरियाणा, पंचकुला।

Full Title of the Project: Diversion of 3.5 ha. of forest land for Laying of Sewerge Pipeline along Agra Canal from Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Ohers/41984/2019

PART - IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

specific and opinion Detailed 17. recommendation of the State Forest acceptance Department for otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse concerned made by comments Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)

Recommended for approval.

Date :_____

Place : Panchkula

Signature Name Office Seal

Principal Chief Conservator of Forests
Harvana, Panchkula

175.200